COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
FEE INDIA TWENTY RUPEES

237

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल बोर्ड ग्वालियर, केम्प सागर

R 1384-I-17

सिल्ली कोदर तनय रग्दीना कोंदी उम्र करीब 60 साल
निवासी ग्राम कसार तहसील बिजावर जिला छतरपुर

--आवेदक/निगरानीकर्ता

// विरूद्ध //

1- नथुवा तनय हज्जू अहिरवार, ग्राम कसार तह0बिजावर
2- श्रीमती माया पत्नी बाला प्रसाद यादव
3- बाला प्रसाद यादव
निवासी ग्राम भौरखुवा तह0बिजावर जिला छतरपुर

-- अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू- राजस्व संहिता

महोदय,

योग्य अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार मण्डल देवरा तह0 बिजावर के रा॰प्र॰क्र॰597/बी 121- 2015-16 में पारित आदेश दिनांक 17॰2॰17 से परिवेदित होकर माननीय न्याया0 के समक्ष यह निगरानी आवेदक द्वारा प्रमुख तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है :-

// प्रकरण के प्रमुख तथ्य //

1- यह कि, भूमि खसरा नं॰ 455, 457, 458, 638/3, 638/4, 636/7, 639 कुल किता 7 एकत्र रकवा 1॰882 एवं ख॰नं॰ 638/4 कुल किता 9 स्थित ग्राम कसार रा॰नि॰मण्डल देवरा तह0 बिजावर की भूमि जो कि पूर्व में म॰प्र॰शासन दर्ज थी एवं आवेदक/निगरानीकर्ता का उक्त भूमि पर कब्जा कर कुंए का निर्माण कराकर व मकान बनाकर अपने परिवार के साथ रहकर जीवन यापन कर रहा है जो करीबन 40 साल हो गये हैं ।

उक्त कंडिका 1 में वर्णित भूमि अनावेदक क्र॰1 को आवेदक

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1384–एक/2017 जिला छतरपुर

सिल्ली कोदर विरूद्ध नथुवा आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
07–3–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार मण्डल देवरा तह0 बिजावर के प्रकरण कमांक 597/बी–121/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 17–2–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 6–5–2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। सदस्य 07/3/19	